इटावा पुलिस

#OPERATION CONVICTION

प्रेस नोट दिनांक- 31.05.2024

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्ता सहित 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी प्रत्येक को 07 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 11,500/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना जसवंतनगर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्ता सहित 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी प्रत्येक को 07 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 11,500/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.04.2012 को वादी उदयभान सिंह पुत्र गेंदालाल निवासी थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना जसवन्तनगर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि उमेश चन्द्र आदि 05 व्यक्तियों द्वारा वादी से साजिश रचकर पुलिस भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करके 04 लाख रूपये ले लिये। **सूचना पर थाना जसवंतनगर पर मु0अ0सं0 160/2012 धारा 420/406/504 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री ब्रज बल्लव सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर **अभियुक्तों** के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना जसवंतनगर पुलिस टीम पैरोकार का0 सुरेंद्र कुमार एवं मानीटरिंग सैल व ए0पी0ओ0 श्री मती संगीता सिंह द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 31.05.2024 को अन्तर्गत धारा 420/406/504 भादवि में मा0 न्यायालय एसीजेएम-II इटावा द्वारा प्रत्येक को 07 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 11,500/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. उमेश चन्द्र पुत्र शिव दयाल निवासी रेल मंडी थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।
2. श्री देवी पत्नी उमेशचन्द्र निवासी रेल मंडी थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।
3. अजय पाल पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम रायनगर थाना नयागांव जनपद एटा।
4. रामवीर पुत्र रामरतन निवासी रेल मंडी थाना जसवंतनगर जनपद इटावा।
5. राधेश्याम पुत्र मूलचन्द्र निवासी बिचपुरी खेड़ा थाना वैदपुरा जनपद इटावा।